(4)



राजि ने एक प्रकार (पुल वर्गी कि 89%) लाइसेन्स ने प्रक्ति वर्गी 0-41 शाहसेन्स ट्रास्ट एण्ड क्रम्ब्रेशनस १५%

# TRANT TITE, GIVE NEXT

## उसर प्रदेशीय सरकार हारा प्रशासित

### विवादी परिशिष्ट

भाग-- 1, खण्ड (क) (उत्तर प्रदेश ग्रहिनियम)

लखनऊ, सुध्यार, 1 नवम्बर, 2000 कार्तिक 10, 1922 शक सम्बत्

> उत्तर प्रदेश सरका र विधायी अनुभाग-1

संख्या 3 4 6 4 | सलह- दिना -- 1 (क) 28 - 20 0 0 लखनक, 1 नवस्बर, 20 0 0

> श्रविसूचना । दिनिध

''भारत का संविधान'' के धनुच्छेट 260 के धणीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश मार्क्यामक संस्कृत शिक्षा परिचय विधेयक, 2000 पर जिनोक 31 अक्टूबर, 2000 को अनुमति प्रदान की भीर वह उत्तर प्रदेश प्रधिनियम संस्था 32 सन् 2000 के रूप में सर्वशाधारण की सूचनार्थ इत प्रधिमुखदा द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद अधिनियम, 2000

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संस्था 32 सन् 2000).

[जैसा उत्तर प्रदेश विद्यान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

राज्य में माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद् भी स्थायना और उससे संदेखित या आनुषंगिक. विषयों की व्यवस्था करने के लिये

### ग्रिधिनियम

भारत गणराज्य के इक्यावन से हर्द में निकालिया अधिनियम सनाया जाता है :--

1—(1) यह प्रजिनियम उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद अधिनियम, 2000 कहा जायगा।

(2) यह 30 सितम्बर, 2000 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

संक्षिप्त नाम श्रीर प्रारम्म परिमाषार्थे

- इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से बन्यथा वर्षाक्षत म मी,
- (क) 'परिषद'' का तात्पर्य घारा इकि अमीन स्थापित एलर प्रदेश साध्यामिक संस्कृत शिक्षा परिषद से है;
- (ख) धकेन्द्र" का तास्पर्य परिवद द्वारा छपनी परीकार्ये आयोजित वर्षत के (ख) न्वाप का पारचन ना ना वा का किस नियंत की गयी संस्था या स्थान से है भीर इसमें उससे सम्बद्ध समस्त मूर्विहि
  - (ग) "निदेशक" का तात्पर्य माध्यमिक शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश में हैं। है
- (व) "संस्था के प्रधान" का ताल्पर्य उस संस्था के, स्थारियनि, प्रवासाचार्य या प्रधान अध्यापक से है;
- (ङ) "निरीक्षण" का जात्मये जिला विद्यालय निरीक्षण से है और इसके अन्तर्गंत इस प्रव्यादेण के अधीन निरीक्षक के सभी या किसी कृत्य का निर्वहन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा शास्त्रकृत कोई श्रविकारी भी है;
- . (च) "संस्था" का तात्पर्य परिषद द्वारा मान्यतः प्राप्त ऐस किसी अंस्कृत विद्यालय से है जिसमें उत्तर मध्यमा तक की संस्कृत शिक्षा दी जाती हो;
- (छ) 'अन्तरीक्षक" का जास्पर्य छस व्यक्ति से हैं जो किसी केन्द्र पर परीक्षाओं के संचारिम और पर्यवेकण में केन्द्र के अधीक्षक की सहायता करें;
- (ज) "मान्यता" का तात्पर्य परिषद की परीक्षाओं में बैठने के लिए अपनीष्यों को सैबार करने के प्रयोजन के निमित्त प्रदान की गयी मान्यता से है;
- (झ) 'सम्भागीय संयुक्त निवेशका' का तात्वर्थ किसी यम्भाग के प्रभारी शिक्षा चंयुक्त निदेशमः छ है और इसमें सम्भागीय संयुक्त निदेशक के समस्त कर्तव्या गा उसमें से किसी का एकन करने के लिए राज्य अरकार ग्रांश प्राधिकृत अविकारी, भी
- (ञा) "वितियम" का तारपर्त्रों इस अधिनियम के अधीन जनार्थ गये वितियमों हे हैं:
- (ट) ''केन्द्र अधीक्षक' का खात्पर्य परिषद्य की परीक्षाओं के संचालन भीर पर्यवेक्षण के लिये परिषद द्वार। नियुवन किये गये व्यक्ति से है और इसमें अपर
- (ठ) किसी परीक्षार्थी के सम्बन्ध में, जब कि वह किसी परीक्षा में प्रश्नों का उत्तर दे रहा हो, "अनुस्ति प्रधन" ना नात्मयं प्रशाधिकृत रूप से किसी व्यक्ति की प्रत्यक्ष तो ग्रजस्यक्ष सहायता से या किसी रूप में लिखित, अकित (रेकार्टेंड); प्रतिलिपिकृत या मृद्धित किसी सामग्री की सहायता से, या किसी टेलीकोन, यायरले या इलेक्ट्रानिक मा अन्य यन्त्र या खुगत के अप्राधिकृत प्रयोग से है।

परिषद का सघटन

- 3--(1) ऐसे दिनांक सै जिसे राज्य सक्कार श्रिष्टिसृचना द्वारा नियत करं, उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद को नाम से एक परिषद स्थापित
  - (2) परिषद एक निगमित निकास होगी।
  - (3) परिषद में निम्नलिखित सदस्य होंगे, श्रथांत् :---
    - (क) श्रनिदेशक, जो परिषद का श्रध्यक्ष होगा;
  - (ख) राज्य सरकार द्वारा श्रनुरक्षित संस्थाश्रों के, राज्य सरकार द्वारा) नाम-निद्धिः, दो प्रधान;
  - (ग) राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित संस्थात्रों के, राज्य सरकार द्वारा नाम-निद्धिट, दो अध्यापक;
  - (घ) सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से सम्बद्ध किसी महाविद्यालय को, राज्य सरकार द्वारा नाम-निद्गिष्ट, एक विज्ञान ग्रध्यापक।
  - (ङ) राज्य सरकार द्वारा श्रनुरक्षित किसी श्रायुर्वेदिक मेडिकल कालेज का, राज्य सरकार द्वारा नाम-निद्धित, एक प्राचार्य या विभागाध्यक्ष;
  - (च) राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित संस्कृत महाविद्यालयों के, राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट, दो प्राचार्व;

(छ) राज्य की विधात सभा द्वारा निर्वाचित उक्त सभा के दो सदस्य;

(अ) राज्य के विद्यान परिषद द्वारा निवाचित एक्त परिषद का एक सदस्य:

्ध) राज्यद्भुसरकार द्वारा नाथ-निर्दिष्ट तीन शिक्षाविद;

(ङा) निदेशक, संस्कृत अकांदमी उत्तर प्रदेश;

- (ट) राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट उद्योग के दो प्रतिनिधि;
- (ত) निदेशक, राजकीय विज्ञान शिक्षा मन्यान, ওত্ত সইয়;
- (ए) प्राचार्य, केन्द्रीय ग्रध्यापन विज्ञान संस्था, इलाहाबार;
- (ढ) राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट दो उप निरीक्षक संस्झत विद्यालय:
- (ण) सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी का कुलवित या उसका नाम निर्देशिती जो उपाचार्य से निम्न पंक्ति का न हो;
- (त) राज्य सरकार द्वारा नाम-निविष्ट सम्पूर्णानन्द संस्कृत विद्वन-) विद्यालय, वाराणसी के दो विभागाध्यक्ष;
- (थ) राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट ऐसा कोई श्रिक्षकारी, जो उप निदेशक शिक्षा से निम्न पंक्ति का न हो, जो सदस्य-सचिव होगा;
  - (द) निरीक्षक, संस्कृत पाठशाला ं, उत्तर प्रदेश;

(ध) उप निदेशक, संस्कृत, उत्तर प्रदेश।

(4) परिषद के सदस्यों का निविचन और नाम-निर्देशन पूरा हो जाने के प्रचात् यथाशीघ राज्य सरकार यह अधिमूचित करेगी कि परिषद का सम्भक्त क्रिया गया है :

प्रतिबन्ध यह है कि उपधारा (3) के खण्ड (छ) या खण्ड (ज) में विनिर्दिण्ट सदस्यों का निर्वाचन पूरा होने के पूर्व भी इन उपधारा के अधीन अधिसूचना जारी की जा सकती है।

4---राज्य सरकार परिषद से, पदेन सदस्य से मिन्न, किसी भी ऐसे सदस्य को हटा सकती है जिसने उसके मतानुसार ऐसे सदस्य के रूप में ग्रंपने पद का ऐसा घोर दुख्यशेष भिया हो कि जिससे परिषद के सदस्य के रूप में उसका वने रहना जनहित के लिये झानिकर की !

हा । प्रतिबन्ध्र यह है कि राज्य सरकार किसी सदस्य को पूर्वोक्त प्रकार से हटाने के पूर्व छसे इपब्टीकरण प्रस्तुत करने का अवसर देगी और उसे हटाये जाने के कारणों को अधिलिखित । करेगी ।

5--(1) पदेन सदस्यों से भिन्न किसी सदस्य की पदावधि घारा 3 की उप-घारा (4) के अधीन अधिसूचना के दिनांक से तीन वर्ष होंगी:

प्रतिबन्न यह है कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसे समस्त सदस्यों के पद की सबिष एक बार में छः मास ने अनिधक समय के लिये इस प्रकार बढ़ा सकती है कि जिससे इस प्रकार बढ़ाई गयी अविधि कुरु मिलाकर एक वर्ष से अधिक न हो।

(2) परिषद का कोई सदस्य जिस हैसियत ते यह निर्वाचित या नाम-निदिण्ट किया गया हो उसकी समाप्ति पर ऐसा सदस्य न रहेगा और उसका स्थान तदुपरान्त रिक्त हो जाया।

6--राज्य सरकार धारा 5 के अधीन सदस्यों की पदायधि की समाप्ति के पूर्व परिषद के पुनर्गठन के लिये कार्यवाही करेगी।

7--(1) परिषद की दैठक ऐसे सबय और स्थान पर होंगी और उपघारा (2) भीर (3) के उपबन्धों के अध्यक्षीन रहते हुवे वह अपनी दैठकों में कार्य-सम्पादन करने के सदस्यों का हटाया जाना

सदश्यौँ की पदाबधि

पदावधि की समाप्ति पर रिक्तियों का भरा जाना

परिषद की बैठकें

लिखें जिसके अन्तर्गत बैठकों की गण-पूर्ति भी है, ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगी जिनकी व्यवस्था इस निमित्त बनायी गयी उप विधियों द्वारा की जास ।

- (2) अध्यक्ष, परिषद की बैठकों की श्रष्टमक्षता करेगा। उसकी अनुपस्थिति में, बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वाण चुना गया परिलद का कोई सदस्य एस वैठक की अध्यक्षता
- (3) परिषद की बैठक में ভठने वाले सनस्त प्रकारी का निर्मय उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जायमा और मतों के बरावर होने की दशा में उक्त बैठक की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति को एक दूसराया निर्णायक मत देने का अधिकार

रिक्सियों जादि के कारण कार्य कीर कार्यवाहियां श्रविधिमान्य न होंगी

8--परिषद या उसके द्वारा नियुवत किसी समिति का कोडे कार्य वा कार्यवाही, परिक षद या समिति में केवल किसी रिक्ति के विद्यमान इति या उसके संबदन में मोई बृदि होने के कारण अविधिमान्य नहीं होगी।

परिषद् का कृश्य

9—इस अधिनियम के अन्य उपवन्यों के अवीत रही हुने परिवय की निस्तिक्षिक सब्तयां होंगी, सर्यात :--

- (क) संस्कृत शिक्षा में प्रथमा, मध्यमा और उत्तर मध्यमा क**काओं** के लिये पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तक, अन्य पुस्तक और विकाण सामग्री, यदि काई हो, विहित करता;
- (ख) ऐसी पाठ्य-पुस्तक, अन्य पुस्तक या शिक्षण सामग्री में सब या किसी का, दूसरों का पूर्णतः या संशतः अपवर्जन करके या अन्यवा प्रकाशन या निर्माण;
  - (ग) ऐसे व्यक्तियों को डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र प्रदान करना, --
  - (एक) जिन्होंने ऐसी संस्था में किसी पाठ्यकम का अध्ययन किया हो जिसे परिषद द्वारा विजेशाधिकार या मान्यता प्रदान किया गया हो; या
    - (दो) जो ग्रध्यापक हों; या
  - (तीन) जिन्होंने विनियमों में निर्जारित की गई शतौं के अधीन व्यक्तिगत रूप स अध्ययम किया हो भीर उन्हीं मती के अधीन परिषद की कोई परीक्षा उत्तीण
- (क) प्रथमा, पूर्व मध्यमा और उत्तर मध्यमा पाठ्यक्रमों की समाप्ति पर परीक्षाओं का संचालन करना;
  - (ङ) अपनी परीक्षाओं के प्रयोजनों के लिए संस्थाओं को मान्यता प्रदान करता;
  - (च) अपनी परीक्षामों में अस्यवियों को प्रवेध देना;
  - (छ) ऐसे शुल्क मांगन और प्रास्त करना जो विश्वियमों में विहित किये जायं।
- (ज) अपनी परीक्षाओं के परिणाम का पूर्णतः वा श्रंशतः प्रकाशन करना या रोकना :
- (झ) अन्य प्राजिशारियों हे लेकी रीति ने तथा ऐसे प्रयोदनों के लिये सहयोग करना जो परिषद अवधारित करे;
- (ञा) मान्यता प्राप्त संस्थाओं या मान्यता है लिए अविदन करने वाली संस्थाओं की स्थिति के बारे में निदेशक से रिपोर्ट मांगनाः
- (ट) ऐसे किसी विषय के स्म्बन्ध में राज्य तरकार को अपने विकार भेजवाँ जिससे वह सम्बन्धित हो।
- (ठ) बजट में संग्मिलित किये जोने के लिए प्रस्तावित ऐसी संस्थाओं ते सम्बन्धित गर्दे नांगों की अनुसूचियों को देखना, जिन्हें उसने मास्यता प्रदान की हो भीर माँद वह जीचत समझे, तो नेने मा अभिज्यनत अपने विकारों को राज्य सरकार के विचाराधं भैजना,
- (ह) ऐसे भ्रन्य समस्त कार्यों और बालों का करना जो उत्तर मध्यमा तक नी मंस्कृत शिक्षा के विनियमन और प्रमेवेशण में लिए एक निकाय के रूप में संघटित किए गर्गे परिधद के उद्देश्यों को अग्रसर करने के छिए अपिक्षत हो।
- (ह) ऐसं सभी कार्य करना जो इस अधिनियन द्वारा प्रदत्त या आरोपित किसी शनित को प्रयोग या किसी कृत्य का सम्यादन या कर्तव्य का पालन करने के लिये भावश्यक या सुविद्याजनक अथवा वानुगीनक हो ।

परिषद के-

विधिकार

10-(1) परिषद को इस ग्रिधितयम के उपवन्धों तथा ददधीन बनाये गये नियमों के अधीन रहते हुए, वे सब अधिकार होंगे जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये निवमों या विनियमों की प्रधीन एसकी कुत्यों के निर्वहन तथा कर्तव्यों के पालन के अधीन उसके कृक्यों के निर्वहन तथा कर्तव्यों के पालन के लिए आवस्पक हीं।

(2) विशेषतया तथा पूर्वोक्त अधिकारों की व्यापकता पर प्रतिकृत प्रभाव डाले विना परिषद के निम्निछिखित इधिकार होंगे,--

(एक) किसी ऐसे अभ्यर्थी की परीक्षा को रट्ट करनाया उसके परीक्षाफल को रोक लेना या उसे किसी भानी परीक्षा में बैठने से विजत कर देना, जिसे बह,

(क) परीक्षा में प्रनृचित साधनों का प्रयोग करने का; या

(ख) परीक्षा में प्रवेश पासे के लिए प्रार्थना-पद में नीई अलख दिवरण देने या महत्वपूर्ण सूचना या तस्य छिपाने का; या

(ग) परीक्षा में कपट करने ग्रथवा प्रतिरोपण का; या

(घ) उक्त परीक्षा में प्रवेश के निषमी का उल्लंघन करके परीक्षा में प्रवेश पाने का; या

(इ) परीक्षा के दौरान किसी घोर अनुगासन्हीनता की,

होही पायै;

(दो) खण्ड (1) के उपलण्ड (क) से (घ) दक में उहिलाखित सभी या किन्ही कृत्यों के लिये या परीक्षाफल की घोषणा में परिषद के किसी सद्भावनापूर्ण भूल के छारण किसी अन्ययी का परीक्षाफल रद्द करना;

(दीन) प्रपने द्वारा संचालित परीक्षाओं के लिये शुल्क नियत करना फीर उनको वसुछ करने की रीति की व्यवस्था करना;

(चार) किसी ऐसी संस्था को मान्यता देने से इन्कार करना जी,—

(क) कर्म चारिष्टमं, शिक्षण, सज्जा या इमारत के लिए परिपद द्वारा निर्धारित मानदेण्डों को पूरा नहीं करती या उन्हें पूरा करने की स्पिति से नहीं है अपवा उन तक नहीं पहुंचती है; या

(ख) परिषद द्वारा इस निमित्त निर्धारित माध्यता की शर्ती का पालन नहीं करती या उनका पालन करता नहीं चाहती;

(पांच) ऐसी संस्था की मान्यता वापस लेना जो कर्मचारिवर्ग, शिक्षण, सब्जा या इमारत के लिये परिषद द्वारा निर्धारित मानदण्डों को पूरा नहीं कर सकती या छनके अमुसार व्यवस्था नहीं कर सकती या जी परिषद के सन्तीयानुसार मान्यता की शतों का पालन नहीं करती;

(छः) नियमों या विनियमों या परिषद के निर्णयों, अनुदेशों अथवा निदेशों के किसी उल्लंधन के सम्बन्ध में मान्यता प्राप्त संस्थाओं के प्रधानों से प्रतिवेदन मांगना भीर नियमों या चिनियमों या परिषद के निर्णयों, अनुदेशों या निर्देशों को कार्यान्त्रित करने के लिये ऐसी रीति से उचित कार्यमाही करना जो विनियमों हारा नियत की

(सात) यह सुनिश्चित करने के लिये मान्यता प्राप्त संस्था का निरीक्षण करना कि नियत पार्यक्रमों का यथोदित रूप से अनुसरण किया जाय सीर शिक्षण की मुविजाओं की यथोचित व्यवस्था की जाय तथा उनका यथोचित उपयोग हो। स्रोर

(बाठ) उन विद्याधियों की अधिकतम संख्या निश्चित करना जो किसी मान्यता प्राप्त संस्था में पाठ्यक्रमों के लिये भर्ती किये जा सर्वे ।

(3) उपघारा (1) और (2) में उल्लिखित समस्त मामलों में परिष्ट का निर्णय अन्तिम होगा ।

11-धारा 10 के खब्ड (क) में किसी बात के होते हुए भी, परिषद, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से किसी नये विषय या विषयों के वर्ग में या किसी उन्च कका की लिये किसी संस्था को मान्यता प्रदान कर सकती है।

12 - जहां किसी संस्था द्वारा जिसमें राज्य सरकार द्या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा गनन्य रूप से अनुरक्षित संस्था भी सम्मिलित है, अंशदान या दान, साहे वह नकद ही या वस्तु किसी नमें विषय में या उच्च क्या के लिए किसी संस्था को मान्यता

বাদ কাড ভিট **चपयोग** 

205)

.

हय में, लिया या प्राप्त विधा जाता है, वहां इत प्रकार आप्त अंभवान या वान का उपयोग केवल जैसी प्रयोजन के पियो दिया जायगा जिसके लिये वह सक्या को दिया गमा है और राज्य संस्कार हाथा अनन्य रूप से अनुरक्षित संस्था की दशा में नजद अंभवान या वान उस संस्था के वैधिवर्शन आता में जमा किया जायगा जिसका संवालन शब्द संस्कार के नामान्य या विशेष वादेश के लेकुसार किया जायगा।

**अधितियम** ं ना जान्होना 13-देतर प्रोण राज्य विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय । 1978 में यो किसी काय उत्तर प्रदेश श्रीनियम में किसी वात के होत हुए भी, इस अिश्वित में के प्रारम्भ की और से, पैंचे वारम्भ के ठीश पूर्व लाज्य में स्थित राजकीय संस्कृत विद्यालयी सहित ऐसी तथी संस्थायों जो उत्तर भव्यमा तक तांकृत विद्यालया प्रवास कर वही ही और राजकीय संस्कृत विद्यालया शायाणी या सम्प्रणांकि एवं इत विद्यालया, वाशायाणी से तम्बद्ध या उत्तरे हारा मान्यता प्राप्त का स्वीतियम के स्थान गरिषद हारा नाम्यता प्राप्त सम्बद्धी और उनत राजविद्यालय या विद्यविद्यालय से सम्बद्ध या उनके हारा मान्यका प्राप्त नहीं रह आर्थेगी खीर इस अवितियम के अपनिवास हों से शासित होंगी:

प्रतिज्ञां यह है कि उपत राजेंशीय विद्यालयं या विद्यविद्यालय, ऐसे प्रारम्भ के ठीक पूर्व रेखी संस्था में अधना, पूर्व मध्यमा, या उत्तर सध्यमा के पाठ्यकरों का अध्यमन करने काले अधिकत्यों की परीक्षा लगा और उत्ते ऐने व्यक्तियों को दिल्लीमा या प्रमाण-पन प्रदान करने की शक्ति होंगी।

राज्य प्रशास का अधिकार

- 14-(1) राज्य सरकार को परिषद द्वारा संवाधित अधवा किये गये मिसी कार्य के सम्बन्ध में परिषद को सम्बोधित अध्ये तथा किसी भी ऐसे विषय के सम्बन्ध में, जिससे धरिषद सम्बन्धित हों, परिषद को अपने विचार सुचित करते का श्रीधकारी होगा।
- (2) परिषय, राज्य सरकार को उसके पत्र पर को गई अथवा की जान के निमित्त . अस्तावित कार्यवाही की, यदि कोई हो, पूचना देगा।
- (3) यदि परिषद, उनित समय के भीतर राज्य सरकार के सन्तोषानुनार भागेंदाही न करे तो परिषद द्वारा प्रस्तुत किये गये किसी स्वव्हीकरण या चंसके द्वारा दिये, गये अभ्यानेदन पर निजार करने के पश्चाद राज्य करकार इस अधिनिषय ने संगत ऐने निदेश जारी कर सकती है जो वह उचित समझे और परिषद ऐने निदेशों का पालन करेगा।
- (4) जब अभी राज्य सरकार भी राज में संस्थाल मार्थकाही करता जावरथक या लगीचीन हो, तो वह परिषद को पूर्ववर्ती उपवृत्वों के अधीन कोई निदेश विधे यिना इस अधिनियम से संगत ऐसा कादेश वे सवती है या ऐसी अन्य कार्यकाही कर सकती है जिसे वह जावश्यक समझें, और विशिष्टतः ऐसे आदेश द्वारा किसी विषय से सम्बन्धित किसी विभियम का परिष्द्वार, विखण्डन या प्रवना कर सकती है और तद्नुसार परिषद को तत्काल सूचना हेगी।
- (5) उपधारा (4) के अधीन राज्य सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही पर आयृत्ति नहीं की जायेगी।

परिषद कें अधिकारी और अन्य कर्मचारी

्रिणव के **सह्यक्ष** के जीवकार और बर्तन्त्र

- 15 इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का दक्षतापूर्वक सम्पादन करने के प्रयोजनार्थ परिषद, उतने अधिकारी और अन्य कर्मआरी, जिन्हें राज्य सरकार के पूर्वानुषोदन से, वह उचित समझे नियुक्त कर सकती है।
- 16—(1) पर्धित के अध्यक्ष का यह कर्तव्य होगा कि वह यह देखें कि इस अधिनियम का और विनियमों का तिब्छापूर्वक पालन किया जातः है और उसे तरप्रयोजनार्थे । आवश्यक समस्त अधिकार प्राप्त होंगे।
- (2) परिषद के अध्यक्ष की परिषद की वैठक बुलाने का अधिकार होगा और वह यथेचित सूचना देने के पहचा, किसी भी समय ऐसे अधियाचन पर जिस पर परिषद की कुल सदस्यता के कम से नम एक-चींचाई अदस्यों के हश्लाक्षर हों तथा जिसमें बैठक में संन्यादित किये जाने वाले कार्य का उल्लेख हो, बैठक बुलायेगा।
- (3) परिषद के प्रशासिक कार्य के सम्बन्ध में पैदा होते वाली किसी ऐसी आपातिक स्थिति में जिसमें उसके अध्यक्ष के मतानुसार तुरन्त कार्यवाही करना अपेक्षित हो, अध्यक्ष ऐसी कार्यवाही करेगा जो वह आवश्यक समझे और उसके पश्चात् परिषद को उसकी अगली बैठक में किये गये कार्यवाही की जूचना देगा।
- ्र (4) परिषद का अध्यक्ष ऐसे अभ्य अधिकारों का प्रमांग करेगा जो विनियम हारा विहित किये जाय।

(206)

17--परिषद्द का रिष्य, परिषद आ भूष्य कार्यपालक अविकारी होया बार परिषद के अधीकण, नियंक्रण और विदेशों के अधीन रहते हुए उसके विनिध्नयों के निष्यादन के लिए उत्तरहायी होगा। नह ऐते बाय अविकारों का प्रयोग धीर ऐसे मान्य कर्नेज्यों का पासन इरेबा को नियमों हारा विहित किये जायं और विशेषदया, यह --

पश्चिद क सचिव के अविद्धार और कर्तन्त्र

- (क) वाषिक प्राप्त्राणन छीए छेन्द्रा-विवस्ण वैवार सरने सीर उन्हें प्रत्युत छरने के छिए उत्तरदायी होता:
- (क्ष) यह चुनिदिवस करने के छिए एतरदायी होगा कि समस्त धनराशिया उन्हों प्रयोजनों के लिए व्यय की जाये जिनके लिए वे स्वीकृत या प्रदिख्ट की गयी हों;
  - (ग) परिषद की बैठकों है कार्यशृत रखने के लिए उत्तरवासी होगा; आह
- (घ) परीक्षाओं के संयासन के लिए ऐसी प्रक्रियों का प्रशेष करता को
- (ङ) ीस धना मधिकारी या प्रयोग सहया जो विनियमों हारा विहित किये
- 18-(1) परिषद निम्तिलिख समितियों को नियुक्त हरेगा और राज्य के मिन्त-शिन्त क्षेत्रों के लिए ऐसी मिन्न जिन्न समितियां नियुक्त की वा सकती हैं, अर्थाह :--
  - (क) पाउँ कर समिति
  - (रू) परीक्षा समिति,
  - (ग) परीक्षाप्तल न्यिति,
  - (घ) भाष्यता समिति। और
  - ्(इ) विक्त समिति।
- (2) ऐसी समितियों में केवल परिषय के लड़क्य ही सम्मिनित होंगे, और इनका गठन इन प्रकार होगा नि प्रश्येष समिति में यशासम्भव निस्नितिखित क्यों में से प्रथेग वर्ग के एक-एक सदस्य को प्रतिनिधित्व दिया जा नके :——
  - (क) संस्थायों के प्रधान(वार्य ने प्रधान,
  - (छ) अध्यापकः;
  - (ग) राज्य की दिशान सभा के सबस्य,
  - (भ) राज्य की विष्ठात परिषद के मंदस्य,
  - (ङ) शिक्षाविष्:

प्रतिवस्य यह है कि परिषद का कोई सदस्य इन समितियों में ते एक से अधिक प्रकार की समिति का सदस्य नहीं होगा, छोर समिति के सदस्यों का कार्यकाल उनकी परिषद की सबस्थना में साथ समाप्त होगा।

- (3) उपबारा (1) में उल्लिखित समितियों के वितिरक्त, परिपद ऐसी वन्य समितियां या उप समितियां, जो विनियमों द्वारा विद्वित की जायं, नियुक्त कर सकती है।
- (4) ज्यमारा (3) के अधीन नियुक्त सुमितियों और उप मितियों का गठन ऐसी विद्धि से और ऐसे निबन्बन और शतों पर होगा जो विनिषमों होरा बिह्त किये जाएं।
- 19—परिषद, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, यह निदेश दे सकती है कि विनियमों को बनाने के अधिकार के सिवाय, इस अधिनियम के अभीन उसके द्वारा प्रयोक्तव्य किसी अधिकार का प्रयोग सभापति या ऐसी समिति या अधिकारी द्वारा भी ऐसे मामलों में और ऐसी सर्वों के अधीन रहते हुए जो उसमें निर्दिष्ट भी आय, किया जा सकता है।

20 -- फेन्द्र श्रधीक्षक और अन्तरीक्षक भारतीय क्षण्ड संहिता की बारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक संबक्त समझे जार्थेंगे।

- 21 (1) परिषद इस अधिनियम के उपवन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनार्थं विनियम बना सकती है।
- (2) विशेषतया और पूर्वोक्त अधिकारों की व्यापकता पर प्रतिकृत प्रभाय डाले. दिना परिषद निम्नलिखित समस्त या सिन्हीं विषयों की व्यवस्था करने के लिए विनियम जना सकती है, अर्थात :--
  - (क) तमितियों कोरं उप समितियों का संघटन उनके श्रष्टिकार श्रीर वार्तव्यः

सितियों छोर उप सिनितियों की नियुपित कीर पंयदन

प्रसायोजन का अधिकार

केन्द्र अधीकक भीर अन्त्रीकक लोक सेवल होंगे

परिषक् का विनियम बनाने का अधिकार

207

- (ख) डिप्लोमाओं तथा प्रमाण-पत्न का प्रदान करना;
- (ग) संस्थाओं को माध्यता प्रदान किये जीने की शहें;
- (घ) समस्त प्रमाण-पत्रों श्रीर डिप्लोमाशों के निर्धारित निर्धे जाने बाले अध्ययन पाठयकम;
- (ड) वे शतें जिनके अधीन अध्यक्षी परिषद की परीक्षाओं में प्रहिष्ट किये जायों ने और विष्कृतिमाओं भीर प्रमाण-पन्नों के पाने के पान होंगे;
  - (च) परिषद की परीक्षाओं में प्रवेश के लिए मुल्क;
  - (छ) परीक्षाओं का संचालन;
- (ज) परिषद की परीक्षाओं के सक्ष्यां में परीक्षकों, प्रश्न-पन्न परिष्कारकों वुलनाकारों, परिनिरीक्षकों, सारिणीकारों, केन्द्र निरीक्षकों, केन्द्र के अविक्षकों भी अन्तरीक्षकों की नियुक्ति और उनके अधिकार और कर्त्तव्य और उनके पारिश्रमिक की दरें:
- (श्व) मान्यता के विश्वेषाधिकारों के लिए संस्थाओं का प्रविष्ट किया जाना भीर मान्यता का वापस लेगा;
- (ञा) ऐसे हैंस मस्त दिष्य जिनकी विनियमी द्वारा व्यवस्था की जानी हो या की जा सके।

परिषद द्वारा बनाए गए विनियमों का अकाशक धौर पूर्व अनुसोधन

प्रशासन योजना

- 22—(1) द्वारा 21 के अधीन विनियम केवल राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन है बनाए जायेंगे और गजट में प्रकाशित किये जायेंगें।
- (2) राज्य सरकार परिषद द्वारा प्रश्तातित किसी ऐसे विनियस की परिष्कार सहित या परिष्कार रहित अनुमोदित कर समती है।
- 23—(1) किसी विधि, लेख्य या किसी न्यायालय की किसी या मादेश या अन्य संलेख में किसी प्रतिकृत बात के होते हुए भी, प्रत्येक संस्था के लिए एक प्रशासन योजना होगी, जाहे उस संस्था को इस अधिनियम के प्रारम्भ के पहले सान्यता श्रदान की गयी हो का एक बे बाद में। प्रशासन योजना द्वारा अन्य विख्यों के साथ-साथ एक प्रवन्ध समिति के संघटन की व्यवस्था की जायगी जिसमें संस्था के मामलों के प्रवन्ध और संचालन का प्राधिकार निहित होगा। संस्था के प्रधान और उसके दो सह्यायक, जो ज्येस्टता के धनुसाय बारी-बारी से विनियमों द्वारा विहित रीति से चुने आयेंगे, प्रवन्ध समिति के पदेन सदस्थ होंगे धीर उन्हें मत देने का अधिकार होगा।
- (2) जब भी कभी प्रबन्ध समिति के किसी सदस्य के वैयक्तिक आचरण के सम्बन्धित किसी प्रारोप पर विचार किया जा रहा हो सब वह सदस्य न तो समिति की बैठक में भाग केगा और न अपने मताधिकार का प्रयोग करेगा।
- (3) विनियमों के अधीन रहते हुए, प्रशासन योजना में संस्था के प्रधान और संस्था के संबंध में प्रवन्ध समिति के अलग-जलग अधिकार, कर्तंब्ध ग्रीर कृत्य भी बताये जायेंगे।
- (4) किसी निकाय मा प्राधिकारी द्वारा एक से अधिक सत्यता प्राप्त संस्थाओं का अनुरक्षण किये जाने की दशा में प्रायेक संस्था के लिए स्म समय तक अलग-प्रजग प्रवन्ध समिति होगी जब तक कि विनियमों में संस्थाओं के किसी वर्ग विशेष के लिए अत्यथा व्यवस्था न की गयी हो।
- (5) प्रत्येक संस्था की प्रशासन योजना निदेशक के अनुमोदन के अधीन होगी और प्रशासन योजना में किसी मी समय कोई संशोधन या परिवर्तन निदेशक के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायगा:

प्रतिसम्ब यह है कि यदि किसी संस्था का प्रवन्धाधिकरण प्रशासन योजना में कोई संजोधन या परिवर्तन का अनुसोदन न करने के निदेशक के आदेश से व्यथित हो लो प्रवन्याधिकरण के अध्यानेदन पर यदि राज्य सरकार का यह समाजान हो जाय कि प्रशासन योजना में प्रस्तावित संशोधन या परिवर्तन संस्था के हित में है तो वह निदेशक को उसका अनुमोदन करने का आदेश दे सकती है और तहुपरान्त निदेशक तहनुसार कार्यवाही करेगा!

(6) प्रत्येक मान्यता प्राप्त संस्थाना प्रवाय उपधारा (1) से उपधारा (5) के अधीन और उनके अनुसार बनायी गयी प्रशासन योजना के अनुसार किया जाया।

(7) जब भी निसी संस्था के प्रवन्धतन्त्र के सम्बन्ध में कोई विवाद हो हो ऐने स्थानित्यों से, जिन्ना सम्भागीय संयुक्त निवेशन द्वारा ऐसी जांच करने पर जेंडी वह अधित स्थानित्यों से, जिन्ना सम्भागीय संयुक्त निवेशन द्वारा ऐसी जांच करने पर जेंडी वह अधिनियम के समहि ऐसी संस्था के कार्यकलाओं पर भास्तिविक निवन्त्रण पाया जाय, इस अधिनियम के समहि ऐसी संस्था के कार्यकलाओं के लिए ऐसी संस्था की प्रजन्म समिति के गठन की सब तद मान्यता प्रवास की प्रयोजनों के लिए ऐसी संस्था की अधिकारिता को कोई न्यायालय अन्यया निवेश न है:

प्रतिबन्ध यह है कि सन्मानीय संयुक्त निवेशन इसे सपदारा के अधीन कोई आहेग देने को पूर्व, विरोधी रावेदानों को कि बित अक्यावेदन करने ना युक्तियुक्त प्रवसर ज्यान करेगा।

्षण्डिं सरकारीय संयुक्त का अवधारण करने में कि इंस्सा पर बास्सरिक नियत्वात विज्ञा है, सरकारीय संयुक्त निदेशक संस्था की विधि और उन्हों जिल्हा पर विव्यव्यक्त एरकी एक्पिस से साथ की प्राप्ति, उपवारा (5) के प्रशीम अपूरोकित प्रवासन गीवना और अन्य सुसंगत परिस्थितियों को हमाल में रहिमा।

24—(1) निरीतक, पंस्कृत पाठकात्रायों, उत्तर प्रदेश, स्लाहाबाद का उपनिर्देशक, संस्कृत पाठणालायें (उपयोगीय) वस्ती पात्रिकारिता के भीतन संस्थाओं के विरीतक के छिए सक्तम प्रविकारी होंगे !

(2) निदेशक, उद हिन्देशक, अस्कृत और सम्मानीय संयुक्त विदेशक या उत्तरे हारा प्राधिकृत कोई प्रतिकारी भी जिसी संस्था का विदेशिया कर समझा है या उसका विदेशिया करा सकता है।

(3) निवेशक, निरीक्षण के समय या सन्य प्रकार से पानी नवी किसी सृष्टि या कमी का निराकरण करने के लिए संस्था के प्रवन्यसंग्र को निवेश के सकता है।

(4) यदि प्रवन्धतंत्र उपधारा (2) के अधीत विश्व गये किया निवेश का पालन करने में अवफल रहे तो निवेशक, प्रवन्धतंत्र द्वारा निवेश में किया सम्बोधतन पर, यदि कोई हो, विचार करने ने परकात्.—

(क) मान्यता वाषस लेने के िए मामलेको परिवस्की पास अमिदिब्ट कर

सक्ता है; या (स) जपधारा (३) के अधीन संस्था के विषय कार्यवाहीं काने के लिए राज्य सरकार की सिफारिश कर सकता है।

(5) यदि उपधारा (4) के खण्ड (छ) में अभिण्डिट विकारिश की प्राप्त होने पर राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि संस्था के हित में यह प्रावश्यक है कि उस संस्था प्रवस्थ किसी प्राधिकृत नियंत्रक को सीए दिया जाय तो राज्य सरकार, आदेश दौरा, संस्था प्रवस्थ किसी प्राधिकृत नियंत्रक को सीए दिया जाय तो राज्य सरकार, आदेश दौरा, ऐसी अविव के लिए, जो आदेश में निर्दिष्ट की जाप एक प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त कर एकी अविव के प्राधिकृत नियंत्रक प्रयस्थ समिति या अन्य किसी भी व्यक्ति को अपर्वाजत एकती है और वह प्राधिकृत नियंत्रक प्रयस्था को या उसमें निहित भूमि, भवण, निधि और कर संस्था का प्रवस्थ, जिसके अन्तर्यंत संस्था को या उसमें निहित भूमि, भवण, निधि और अन्य परिस्तम्पत्तियां भी हैं, वपने हाथ में ठे एकता है. और कभी प्राधिकृत नियंत्रक सम्य परिस्तम्पत्तियां भी हैं, वपने हाथ में ठे प्रवस्थ के एकता है। और कभी प्राधिकृत नियंत्रक राज्य सरकार आरोपित करें, संस्था के प्रजन्म के सम्बन्ध में ऐसी एकी शिक्तियां और राज्य सरकार आरोपित करें, संस्था के प्रजन्म के सम्बन्ध में ऐसी एकी शिक्तियां और प्राधिकार होंगे जो प्रबन्ध समिति की होते, यदि इस उपकारा के प्रजीन कोई आदेश न दिया गया होता।

(6) उपवारा (5) के अधीय कोई आदेश प्रयमतः एक वर्ष त समिक अविवि के लिए प्रवृत्त रहेगा:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि राज्य की यह राय हो कि संस्था का तमुचित प्रबन्ध वनाए रखने के उद्देश्य से ऐसा करना इंग्टकर है तो वह समय-अस्य पर अदेश के प्रवर्तन को एक बार में एक वर्ष से ग्रनिश्रक ऐसी वर्गीय के लिए जैसी वह निर्दिष्ट करे, बढ़ा सकती है किन्तु इस प्रकार आदेश के प्रवर्तन की कुछ ग्रविध जिलके अन्तर्गत उपधारा (5) के अधीन प्रारम्भिक आदेश में निर्दिष्ट अदिध भी है, पांच वर्ष से अधिक न हो :

जगतर प्रतिबन्ध यह है कि यदि उन्ह पांच धर्ष की अधि की समाप्ति पर संस्था की विधिपूर्वक संघटित कोई प्रजन्म समिति न हो तो प्राधिकृत नियमक इस रूप में तब तक कार्य विधिपूर्वक संघटित कोई प्रजन्म समिति विधि-करता रहेगा जब तक कि ए। ज्य नाकार का यह समाधान न हो जाय कि प्रवन्ध समिति विधि-पूर्वक संघटित हो गयी है :

प्रतिबन्ध यह भी है कि राज्य सरकार उपधारा (६) या इस उपधारा के स्रधीन दियें वये किसी आदेश को किसी समय विखण्डित कर सकती है।

निरीक्षण पीर दोडी का हुए बिया करण

HEERS?

(209)

- (7) कोई शिषिकृत नियंत्रक सौंपे गये कर्तव्यों का पालन करने में अपने ज्ञान सुद्ध कायना से किये गये इत्यों के लिए वैयन्तिक रूप से उत्तरसायी न होगा
- (8) उपवारा (5) के अधीन दिया गया कोई आवेश संस्था के प्रवन्ध और निवाहण किसी अस्ति कोई प्रशासन योजना भी है, से सम्बन्धित या संस्था की या उसके कि एवं किसी अपना प्रदिनियमिति का मेरेल में तत्वान्यकी कोई प्रशास विवाहण वास अन्तिक है। पर भी प्रभावी होंगे।
- (अ) उपधारा (4) के खण्ड (क) के अधीर उपयोग कापन छेत्र के जिल् राज्यिक जारा किये गये किया धारेण धीर उपधारा (5) के शहील (19 यहे पार्टी प्रावेश हार कि ) जायाजन है कोई आपनि नहीं की जानगी।
- (१९) इ**न प्राप्त हरका अन्त समित्रा इत्या**र १६० के हिंदी तथा कि के हरीन अन्त १९९५) से प्रा**र्थकत निर्वत्रक** की प्रशासकित्यों ब्रिटिट के लिल्कि होंगी उस स्वार्थकर अन्य स्वार्थकर वास्त्र वास्त्री में हींगी।

AFA BEEN

26 - इस सिंगियन से उपयोगी से सम्बद्धित नहीं हुए, स्वद्धान गायम करा सम्बद्धान कर्म हुए। स्वद्धान गायम करा सम्बद्धान समित्र करिया गायम करा सम्बद्धान स्वत्य प्रति । स्वत्य स्वत

A SAME AND A SAME AND

- 26--(1) कियो प्रधा में प्रेमायोजित अर्थेक व्यक्ति हैं का की पूरा पर्ध करी करा अभित होगा जो निविधमीं द्वारा तिहित की जामें और प्रयत्वद्वेत्र और ऐसे वर्ध सार्थिकों के बीच किया गया कोई करार, जहां तक वह इस अधिवियम के प्रवत्वी है की विविधमीं व अर्थेगत ही, मृग्य होगा।
- (2) उपहारा (1) द्वारा प्रदान किये गये अधिकारों की अ्वानकता पर प्रतिकृत प्रमान डार्स दिना विनियमों में निम्नलिखित के लिए व्यवस्था की जा सकती है, --
  - (क) जानार इहिता, परिकीक्षा की सर्वधि, स्थायीकरण की धाते छोर पदीस्ति तथा दण्ड देने छी प्रक्रिया और शर्जे, जिसके सन्तर्गत जांच या अपेक्षित जांच होने तद या हैतिक पतन संस्थित किसी संप्रधि के लिए किसी द्राज्यिक मामले में अत्येषण, जांच या विचारण किसे जाने तक निलम्झन भी है तथा निलम्झन भी अविध के लिए उपलब्धियां और मोटिस देकर सेवा की समास्त किया जाना समिनिया है;
    - (ख) वेतन कम और वेतनों का मुगतांत;
    - (म) एक मान्यता प्राप्त संस्था से दूसरी में सेवा का स्थानान्तरण;
    - (घ) छुट्टी प्रदान करना और मित्रध्य निधि और अन्य लोग; और
      - (ছ) कार्य और सेवा के अमिलेख का रखा जाना।
- (3) (क) संस्था का कोई प्रधान या श्रध्यापक, सम्मागीय संयुक्त निदेशक की लिखित रूप में पूर्व स्वीकृति के बिनान तो नेवोन्मुक किया या सेवा से हटाया या पदच्युंत किया वा सकता है न पंक्तिच्युत किया जा सकता है और न ही उसकी उपलब्धियों में कोई कमी भी जा सकती है और न उसे नेवायें समान्त करने का नोटिस दिया जा सकता है।
- (ब) संभागीय संयुक्त निदेशक प्रबन्धतंत्र द्वारा प्रस्तावित दण्ड को स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकता है या उसे घटा या वहा सकता है या सेवायें सनाप्त करने के नोटिस को स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकता है:

प्रतिबन्ध यह है कि दण्ड के मामलों में सम्मागीय संयुक्त निदेशक आदेश जारी करने के पूर्व संस्था के प्रधान या अध्यापक को इस बात का एक अवसर देगा कि वह नोटिस की प्राप्ति के दिनांक से एक पखबारे के भीतर कारण दतावें कि उसे प्रस्तावित दण्ड क्यों न

(ग) कोई पक्ष खण्ड (ख) के अघीन किसी सम्मार्गाम संयुक्त निदेशक के झादेश के विरुद्ध झादेश की सूचना पाने के दिनांक से एक माह के मीक्टर निदेशक के समक्ष धपील प्रस्तुत कर सकता है भीर निदेशक ऐसी अतिरिक्त जांच करने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे आदेश की पुष्टि कर सकता है, उसे रद्द या परिक्कृत कर सकता है और निदेशक गा श्रादेश अन्तिम होगा।

(4) किस संस्था का प्रधान या अन्यापक प्रशासके हारा निलम्बित नहीं किया अध्या जय तक रिप्राम्बदिन की राम से,--

(क) एउके विरुद्ध आरोप इतने गम्हीर न हों कि उसने उसकी परव्युत करना, पर । हटाना या पंक्तिक्युत करना एचित समझा जाय; या

(खं उसके पद पर बने रहने से उसके थिएक अनुशासिक कार्यशाहियों के संपालन में शाबा पढ़ने या उन पर प्रिकृत प्रसाद पढ़ने भी सम्भादना हो; या

(ग) उसके विरुद्ध किसी ऐसे झपराध के लिए इण्ड विषयः नामना अन्वेषण, गांच वर्ष रीक्षण के अधीन हैं, जिसमें नैतिक अधमता सन्विहित हो।

(5) व कभी प्रदःव समिति हारा किसी संस्था का प्रधान वा अध्यापक निक्रिक्ति किया अय तर उसकी सुमना निक्रियन के आदेश के दिलांक है हात जिन के भीतर सम्बागीय संयुक्त निदेश को दी जायेगी और शुक्ता के साथ ऐसे विवरण की जिनियमों हारा दिहित किए जायं : अन होंगे और उसके साथ सभी सुसंगत दस्तावेश होंगे।

(6) निलम्बन का कोई प्रादेश अब तक कि सम्शांगीय संयुक्त निदेशक हारा लिखित क्य में अनुमोदित न हो उस आदेश के दिनांक से साठ दिन से अधिक क्ष्यिक के लिए अवृत्त न रहेगा और सम्माधीय संयुक्त निदेशक का आदेश अन्तिम होता और एस पर किसी स्वाधानन में आपनि नहीं की जाएगी।

(7) यदि किसी समय सम्भागीय संयुक्त निदेशक का यह समाधान हो जाय जि संस्था के प्रधान जा अध्यापक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही में संस्था के प्रधान या अध्यापक के किसी दोख के दिना सिकम्ब किया जा रहा है तो सम्मागीय इंदूबत निदेशक प्रबन्धतंत्र की अध्यावेदन देने का अवधर प्रदान करने के पश्चात् हम धारा के अधीन दिए गर्म गिलम्बन के आदेश को प्रतिसंहत कर सकता है।

27 क्योरिवर या गरिवर हारा नियुक्त किसी समिति के तदस्यों में, पहेन सदस्यों के व्यविदिक्त होने वाली समस्त रिक्तियों की पूर्ति तथाश्वर शीझ उस व्यक्ति या निकाय द्वारा की जाएगी जिल्ले उस सदस्य को नियोंचित या नाम-निर्दिष्ट किया हो जिसका स्थान रिवत हुआ हो और कियी अकिरिमक रिक्ति में नियोंचित या नाम निर्दिष्ट किया गया कोई न्यक्ति, परिवर या निमित्त का उस शेव अविद्य के लिए स्टंस्य रहेगा निस्के लिए वह उपक्ति सदस्य रहेगा जिसके स्थान में उसकी नियुक्ति हुई हो।

28--(1) परिवद् और उसकी समितियां इस अधिनियम, निवमों और विनिवमों से संगत उपविधियां बना सकती हैं, जिनमें,--

(क) उनकी बैठकों में पालय की जाने वाली प्रक्रिया सीर गणपूर्ति के लिए सदस्यों की संस्वा निर्धारित की जाय;

(ख) ऐसे समस्त विषयों की व्यवस्था की जाय जिनकी उपविधियों द्वारा व्यवस्था की जानी हो, या की जा सके।

(ग) केवल परिषद् और उसकी समितियों से सम्बन्धित ऐसे भन्य समस्त विषयों की व्यवस्था की जाय जिनकी इस अचिनियस, नियमों और विनिश्मों द्वारा व्यवस्था की गयी हो।

(2) परिषद् और उसकी समितियां परिषद् या समिति के सदस्यों की परिषद् या समिति की बंठकों के दिनांक और उनमें सम्पादित किये जाने वाले कार्य की सूचना देने और वैठकों की कार्यवाही का अभिसेख रखने की व्यवस्था करने के लिए उपविधिया बनायेगी।

(3) परिषद् समिति हारा इस धारा के अवीन वनाई गयी किसी उपविधि में संसोधन या विखण्डन का निदेश दे सकती है और समिति ऐसे निदेश को कार्यान्वित करेती।

29—राज्य घरकार, परिषद् या उसकी मिसी समिति और उपसमिति या परिषद् या किसी उमिति या उपसमिति के किसी सदस्य या किसी प्रत्य व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियो नन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी ऐसे कार्य के संबंध में नहीं की जा सकती है जो इस अधिनियम या तदधीन बनाए गये किसी नियम, विनिथम, उपविधि; दिये गये बादेश या निदेश के अनुसरण में सद्भावना से किया गया हो या किये जाने के लिए अभिष्रेत हो।

30--इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन प्रवत किसी अधिकार के प्रयोग में पैरियद् या उसकी किसी समिति या उपसमिति द्वारा दिये गये किसी आदेश या निर्णय पर किसी स्वायालय में कोई प्रापत्ति नहीं की जायगी।

31---(1) परिवर्की ग्रपनी निधि होगी भीर परिषद् को प्राप्त सभी धनराक्रियाँ पक्षमें अबाकी जायेंगी बीर परिषद् के सभी मुगतान उसी में किये जायेंगे। आकरिमण रिक्डिगो

परिषष् धीर समितियों का रुपन विधियां समाने का अधिकार

ष्टद्भावना से निए गए कार्य के किए संरक्षण

त्वाधालयों के सिंधकार क्षेत्र पर रोक दरिषद्की निधि

(211)

(2) राज्य सरकार के किसी सामान्य या विशेष आदेश के अधीर रहते हुए इस अधिकियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, परिषद् की इस अधिनियम हार्ग प्राधिकृत उद्देक्यों या प्रशीक्षमों के लिए ऐसी बनराशि, जिसे वह उचित सन्ते, व्यय करने की शांगत होगी।

कैसा भीर लेखा परीक्षा

- 32—(1) परिषद्, उतित लेखा और अन्य उत्तत अभिलेख रहेगी और ऐसे प्रक्ष में ित ते राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश आहा निर्दिष्ट करें अधिक लेखा विजयन पत्र तैयार करेगी।
- (2) परिचंद् एक वार्षिक बिदरण-पृष् तैयार दारेजी और उसे राज्य सुरकार के अनुसोदनाय प्रस्तुत करेगी।
- (3) परिषद् के लेकी की परीक्षा ऐसे मामिकारी हारा की कामगी विशे राज्य सरकार सामान्य मा बिश्वेय आदेश द्वारा निविध्य करें
- (4) लेखा परीका प्रविकानी द्वारा प्रयाप्तमाणित परिषर् के रोशे होर लेखा परीका प्रतिवेदन राज्य सरकार की प्रतिवर्ष भेजे जायेंगे।

कडिनाइयों को दूर करने की शक्ति

- 33—(1) यदि इस अधिनियम के उपवन्त्रों के कार्यान्वयंत में कोई कठिनाई उस्तम्त हों तो राज्य सरकार, अधिसूचित आदेश हारा, ऐसे उपवन्ध, जो इस अधिनिधन के उपवन्धों से अधंगत न हो, कर सकती है जो कठिनाइयों को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या अभीचीन प्रतित हों।
- (2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से हो वर्ष की अवधि की समान्ति के पश्चात् नहीं किया जायना।
- (3) उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की घारा 23-ए की उप-धारा (1) के उपवन्त्र उपघारा (1) के अधीन कियें गये आहेग पर उसी प्रकार लागू होंगे जैसे के किसी उत्तर प्रदेश स्वधिनियम के अधीन राज्य सरकार हाश बनायें गये नियमों के संबंध में लागू होते हैं।

नियम बनाते की सांकित

34 - राज्य सरकार, अधिस्चनः हारा, इत अधिनियम से प्रयोजनों को कार्यान्विक करने के लिए नियम बना सकती है।

विरसन ग्रीर अपनाद

- 35--(1) उत्तर प्रदेश नाव्यमिक संस्कृत शिका परिषद् अध्यादेश, 2000 एउट्हारा निरसित किया जाता है।
- (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्विष्ट अध्यादेस के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानी यह श्रीविजियम समा तारवान सुमय पर प्रवृत्त था।

बाजा है; योगेन्द्र राम स्निवाठी,

अस्य सचिव ।

No. 2464 (2)/XVII-V-1-1 (KA) 28-2000 Dated Lucknow, November 1, 2000

In pursuance of the provisions of clause (3) of Armole 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the position of the following English translation of the Uttar Pradesh Madhyamik Sanskrit Shiksha Parished Adhiniyam, 2000 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 32 of 2000) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on October 31, 2000:

THE UTTAR PRADESH BOARD OF SECONDARY SANSKRIT EDUCATION ACT, 2000

(U. P. ACT No. 32 of 2000)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN ACT

to provide for the establishment of a Board of Secondary Sanskrit Education in the State and for the matters connected therewith or incidental thereto.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-first Year of the Republic of India as follows:--

Short title and commencement

- 1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Board of Secondary Sanskrit Education Act, 2000.
  - (2) It shall be deemed to have come into force on September 30, 2000.

(2/2)

इत्तर प्रदेश अञ्चादेश संख्या 11 सन् 2000 2. In this Act unless the context otherwise requires;

Definition

- (a) "Board" means the Uttar Pradesh Board of Secondary Sanskrit Education established under section 3;
- (b) "Centre" means an institution or a place fixed by the Board for the purposes of holding its examinations and includes the entire premises attached thereto;
- (c) "Director" means the Director of Secondary Education, Uttar Pradesh;
- (d) "Head of the Institution" means the Principal or the Head Master, as the case may be of that institution;
- (e) "Inspector" means the district Inspector of Schools and includes an Officer authorised by the State Government to perform all or any of the functions of the Inspector under this Ordinance;
- (f) "Institution" means a sanskrit school imparting sanskrit education upto Uttar Madhayama recognised by the Board;
- (g) "Invigilator" means a person who assists the Superintendent of a Centre in conducting and supervising the examinations, at a Centre:
- (h) "Recognition" means recognition for the purpose of preparing candidates for admission to the Board's Examination;
- (i) "Regional Joint Director" means the Joint Director of Education incharge of a region and includes an officer authorised by the State Government to perform all or any of the duties of a Regional Joint Director;
  - (j) "regulation" means regulations made under this Act;
- (k) "Superintendent of a Centre" means a person appointed by the Board to conduct and supervise examinations of the Board and includes an Additional Superintendent;
- (1) "Unfair means" in relation to an examinee while answering questions in an examination, means the unauthorised help from any person directly or indirectly or from any material written, recorded, copied or printed in any form whatsoever, or the use of any unauthorised telephonic, whreless or electronic or other instrument or gadget.
- 3. (1) With effect from such date as the State Government may, by notification, appoint, there shall be established a Board to be known as the Utter Fracesh Board of Secondary Sanskitt Education.

Constitution of the Board

- (2) The Board shall be a body corporate.
- (3) The Board shall consist of the following members namely;-
  - (a) the Director, who shall be the Chairman of the Board;
- (b) two Heads of the Institutions maintained by the State Government, nominated by the State Government:
- (c) two teachers of the Institutions maintained by the State Government;
- (d) one Science teacher of any degree college affiliated to Sampurnanand Sanskrit Vishwavidysiaya, Varanasi, nominated by the State Government;
- (e) one Principal or Head of the Department of an Ayurvedic Medical College maintained by the State Government, nominated by the State Government;
- (f) two Principals of Sanskrit degree colleges maintained by the State Government; nominated by the State Government;
- (g) two members of the Legislative Assembly of the State elected by the said Assembly;

- (h) one member of the Legislative Council of the State elected by the said Council;
  - (i) three academicians, nominated by the State Government:
  - (j) Director, Sanskrit Academy, Uttar Pradesh;
- (k) two representatives of industries nominated by the State Government;
  - (1) Director, State Institute of Science Education, Uttar Pradesh :
  - (m) Principal, Central Pedagogical Institute, Allahabad:
- (n) two Deputy Inspectors of Sanskrit Schools nominated by the State Government;
- (e) Vice-chanceller of the Sampurnanand Sanskrit University, Varanasi or his nominee, not below the rank of Reader;
- (p) two Fleads of the departments of Sampurnanand Sanskrit Vishwavidya laya, Varanasi, nominated by the State Government;
- (q) an officer not below the rank of Deputy Director of Education nominated by the State Government who shall be the Member-Secretary;
  - (r) Inspector, Sauskrit Pathshalayen, Uttar Pradesh.
  - (s) Deputy Director, Sanskrit, EUttar Pradesh.
- (4) As soon as may be after the election and nomination of the member of the Board have completed, the State Government shall notify that the Board has been duly constituted:

Provided that a notification under this sub-section may be issued even before the election of the members specified in clause (g) or clause (h) of sub-section (3) has been completed.

Removal of mem-

4. The State Government may remove from the Board a member other than an ex-efficio member, who in its opinion, has so flagrantly abused his position as such member as to render his continuance on the Board detrimental to the public interest:

Provided that the State Government shall, before removing a member as aforesaid, give him an opportunity of explanation and shall place on record reasons for his removal.

Terms of Office of members 5. (1) A member other than ex-officio member, shall hold office for a term of three years from the date of the notification under sub section (4) of section (3):

Provided that the State Government may, by notification enlarge the term of the office of all such members by a period not exceeding six months at a time, so however that the enlargements so granted shall not in the aggregate exceed one year.

(2) A member of the Board shall cease to be such member upon his ceasing to have the capacity in which he was elected or nominated, and his seat shall thereupon, become vacant.

Filing of vacancies on expiry of seem of office 6. The State Government shall take steps for the reconstitution of the board before the expiry of the term of office of members under section (5).

Meetings of the Board

۲,

- 7. (1) The Board shall meet at such time and place and shall subject to the provisions of sub-sections (2) and (3) observe such procedure in transacting the business at its meetings, including the quorum thereat, as may be provided by bye-laws made in this behalf.
  - (2) The Chairman shall preside at the meeting of the Board. In his absence, any member of the Board chosen by its members present at the meeting shall preside at the meeting.
  - (3) All questions arising in a meeting of the Board shall be decided by majority of votes of the members present and voting and

214)

in case of equality of votes, the preson persiding at such meeting shall have a second or casting vote.

- 8. No act or proceedings of the Board or of a committee appointed by it, shall be invalid on the ground merely of the existence of any vacancy or defect in the Constitution of the Board or the committee.
- 9. Subject to the other provisions of this Act, the Board shall have the following powers namely!-
  - (a) to prescribe course of instructions, text-books other books and instructional material, if any, for Prathama, Madhyama and Uttar Madhyama classes in sanskrit education;
  - (b) to publish or manufacture, whether to the exclusion, complete or partial of others or otherwise, all or any such text-books, other books or instructional material;
    - (c) to grant diplomas or certificates to persons, who-
    - (i) have pursued a course of study in an institution admitted to the privileges or recognition by the Board:
      - (ii) are teachers; or
    - (iii) have studied privately under conditions laid down in the regulations and have passed an examination of the Board under like conditions;
  - (d) to conduct examinations at the end of the Prathma, Purva-Madhyama, and Uttar Madhyma Courses;
    - (e) to recognise institutions for the purposes of its examination;
    - (1) to admit candidates to its examination;
  - (g) to demand and receive such fee as may be prescribed in the regulations;
  - (h) to publish or withhold publication of the results of its examinations wholly or in part;
  - (i) to co-operate with other authorities in such manner and for such purposes as the Board may determine;
  - (1) to call for reports from the Director on the condition of recognised institutions or of institutions applying for recognition;
  - (k) to submit to the State Government its views on any matter with which it is concerned;
  - (1) to see the schedules of new demands proposed to be included in the budget relating to institutions recognised by it and to submit if it thinks fit, its views thereon for the consideration of the State Government;
  - (m) to do all such other acts and things as may be requisite in order to further the objects of the Board as a body constituted for regulating and supervising sanskrit education upto Uttar Madhyama;
  - (n) to take all such steps as may be necessary or convenient for or may be incidental to. the exercise of any power, or the discharge of any function or duty, conferred or imposed on it by this Act.
  - 10. (1) The Board shall, subject to the provisions of this Act and the rules made thereunder, have all such powers as may be necessary for the discharge of its functions and the performance of its duties under this Act, or the rules or regulations made thereunder.
  - (2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing powers, the Board shall have the powers,-
    - (i) to cancel an examination or withhold the result of an exmination of a candidate, or to disallow him from appearing at any future exmination who is found by it to be guilty of,-
      - (a) using unfair means in the examination; or

**Functions** the Board

Vacansies etc.

not to invali-date acts and

proceedings

Powers of the Board

面1競斗。 智强性

- (b) making any incorrect statement or suppressing material information or fact in the application form for admission to the examination; or
  - (c) fraud or impersonation at the examination; or
- (d) securing admisson to the examination in contravention of the rules governing admission to such examination; or
- (e) any act of gross indiscipline in the course of the examination:
- (ii) to cancel the result of an examination of any condidate for all or any of the acts mentioned in sub-clauses (a) to (d) of clause (i) or for any bonafide error of the Board in the declaration of the result;
- (iii) to prescribe fees for the examinations conducted by it and provide for the manner of their realisation;
  - (iv) to refuse recognition of an institution,—
  - (a) which does not fulfil, or is not in a position to fulfil, or does not come up to the standards for staff, instructions, equipment or buildings laid down by the Board in this behalf; or
  - (b) which does not, or is not, willing to abide by the conditions of recognition laid down by the Board in this behalf;
- (v) to withdraw recognition of an institution not able to adhere to, or make provisions for, standards of steff, instructions, equipment or buildings laid down by the Board or on its failure to observe the conditions of recognition to the satisfaction of the Board;
- (vi) to call for reports from the Heads of recognised institutions in respect of any act of contravention of the rules or regulations or decisions, instructions or directions of the Board, and take suitable actions for the enforcement of the rules or regulations or decisions, instructions or directions of the Board, in such manner as may be prescribed by regulations:
- (vii) to inspect an recognized institution for the purpose of ensyring due observance of the prescribed courses of study and that facilities for instructions are duly provided and availed of; and
- (viii) to fix the maximum number of students that may be admitted to courses of study in a recognized institution.
- (3) The decision of the Board in all matters mentioned in subsections (1) and (2) shall be final.
- Reconstition of an fratitution in any new subject of for a higher class
- 11. Notwithstanding anything contained in clause (a) of section 10, the Board may, with the prior approval of the State Government, recognize an institution in any new subject or group of subjects or for a higher class.

Proper utilization of denaiton 12. Where a contribution of conation, either in cash or in kind, is taken or received by an institution including an institution maintained exclusively by the State Government, or a local authority, the contribution or donation so received shall be utilized only for the purpose for which it was given to it and in the case of an institution maintained exclusively by the State Government, the cash contribution or donation shall be credited to personal ledger account of such institution which shall be operated in accordance with general or special orders of the State Government.

Application of

13. Notwithstanding anything contained in the Uttar Pradesh State Universities Act. 1873 or any other Uttar Pradesh Act, on and from the commencement of this Act, all the institutions, situated in the State, immediately before such commencement including Government Sanskrit Schools, imparting sanskrit education upto Uttar Madhyama, affiliated to or recognised by the Government Sanskrit College, Verlaussi of Sampurnaname Sanskrit Vishwavidyalaya, Varanasi shall be deemed to have been recognised by the Poard under this Act and shall cease to be affiliated to or recognised by the said Government college or Vishwavidyalaya and shall be governed by the provisions of this Act;

Provided that the said Government college or Vishwavidyalaya shall hold examination of persons pursuing Prathama, Purva Madhyama or Uttar Madhyama courses of study in such institution immediately before such commencement and shall have power to grant diploma or certificate to such persons.

14. (1) The State Government shall have the right to address the Board with reference to any work conducted or done by the Board and to communicate to the Board its views on any matter with which the Board is concerned.

Power of the State Government

- (2) The Beard shall report to the State Government such action, if any, as it is proposed to be or has been taken upon its communication.
- (3) If the Board does not, within a reasonable time, take action to the satisfaction of the State Government, the State Government may, after considering any explanation furnished or representation made by the Board, issue such directions consistent with this Act, as it may think fit, and the Board shall comply with such directions.
- (4) Whenever, in the opinion of the State Government, it is necessary or expedient to take immediate action, it may, without making any reference to the Board under the foregoing provisions, pass such order or take such other action consistent with this Act as it deems necessary, and in particular, may by such order modify or rescind or make any regulation in respect of any matter and shall forwith inform the Board accordingly.
- (5) No action taken by the State Government under sub-scotion (4) shall be called in question.
- 15. For the purpose of enabling it efficiently to discharge its functions under this Act, the Board may appoint such number of officers and other employees as it may, with the previous approval of the State Government, think fit.

Officer and other employees of the Board

16. (1) It shall be the duty of the Chairman of the Board to see that this Act and the regulations are faithfully observed and he shall have all powers necessary for this purpose.

Powers & and duties of the Chairman of the Board

- (2) The Chairman of the Board shall have power to convene meetings of the Board and shall call a meeting, at any time after due notice, on a requisition signed by not less than one fourth of the total Membership of the Board and stating the business to be brought before the meeting.
- (3) In any emergency, arising out of the administrative business of the Board, which in the opinion of its Chairman, requires that immediate action should be taken, the Chairman shall take such action as he deems necessary and shall thereafter report the action taken to the Board at its next meeting.
- (4) The Chairman of the Board shall exercise such other powers as may be prescribed by the regulations.
- 17. The Secretary of the Board shall be the Chief Executive Officer of the Board and shall, subject to the superintendence, control and directions of the Board, be responsible for the execution of its decisions. He shall exercise such other powers and perform such other duties as may be prescribed by rules, and in particular.—
  - (a) be responsible to prepare and present the annual estimutes and statement of accounts;
  - (b) be responsible to ensure that all moneys are spent for the purposes for which they are granted or allotted;
  - (c) be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board;
  - (d) shall exercise such powers as are necessary for the conduct of the examinations; and

Powers and duties of the Secretary of the Roard

(e) shall exercise such other powers as may be prescribed by the regulations.

Appointment and constitution of Committees and Sub-committees

- 18. (1) The Board shall appoint the following committees and different committees may be appointed for different areas of the State, namely,—
  - (a) Curriculum Committee;
  - (b) Examinations Committee;
  - (c) Results Committee;
  - (d) Recognition Committee; aed
  - (e) Finance Committee.
- (2) Such committees shall consist of the Members of the Board only and shall be constituted in such a way that as far as possible atleast one Member from each of the following classes are represented in each of the committees:
  - (a) Principal or Head of Institutions:
  - (b) Teachers;
  - (c) Member of the Legislative Assembly of the State :
  - (d) Member of the Legislative Council of the State
    - (e) Academicians:

Provided that no Member of the Board shall serve on more than one of such committees, and the term of Members of the committee shall cease with the cessation of Membership of the Board.

- (3) In addition to the committees mentioned in sub-section (1) the Board may appoint such other committees or sub-committees as may be prescribed by regulations.
- (4) The committees and sub-committees appointed under sub-section (3) shall be constituted in such manner and on such terms and conditions as may be prescribed by regulations.

Power to delegate 19. The Board may, by general or special order, direct that any power exerciseable by it under this Act except the power to make regulations may also be exercised by its Chairman or by such Committee or officer in such cases and subject to such conditions, as may be specified therein.

Superintendent of a centre and invigilator to be public servant 20. (1) The Superintendent of a Centre and an invigilator shall be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code.

Power of the Board to make regulations

- 21. (1) The Board may make regulations for carrying out the purposes of this Act.
- (2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing powers, the Board may make regulations providing for all or any of the following matters, namely:—
  - (a) constitution, powers and duties of committees and sub-committees;
  - (b) the conferment of diplomas and certificates;
  - (c) the conditions of recognition of institutions;
  - (d) the courses of study to be laid down for all certificates and diplomas.
  - (e) the conditions under which candidates shall be admitted to the examinations of the Board and shall be eligible for diplomas and
    - (f) the fees for admission to the examination of the Board;
    - (g) the conduct of examinations;

(218)

- (h) the appointment of examiners, moderators, collators, scrutinisers, tabulators, centre inspectors, Superintendents of Centres and invigilators and their duties and Powers in relation to the Board's examinations and the rates of their remuneration;
- (i) the admission of institutions to the privileges of recognition and the withdrawal of recognition;
- (j) all matters which are to be, or may be, provided for by regulations.
- 22. (1) Regulations under section 21 shall be made only with the previous approval of the State Government and shall be published in the Gazette.
- (2) The State Government may approve any such regulation proposed by the Board with or without modification.
- 23. (1) Notwithstanding anything contained in any law, document or decree or order of a court or other instrument, there shall be a Scheme of Administration for every institution, whether recognised before or after the commencement of this Act. The Scheme of Administration shall amongst other matter provide for the constitution of a Committee of Management vested with authority to manage and conduct the affairs of the institution. The Head of the institution and two teachers thereof, who shall be selected by rotation according to seniority in the manner to be prescribed by regulations, shall be ex-officio members of the Committee of Management with a right to vote.
- (2) No member of the Committee of the Management shall either attend the meeting of the Committee or exercise his right to vote whenever a charge concerning his personal conduct is under discussion.
- (3) The Scheme of Administration shall also describe subject to any regulation, the respective powers, duties and functions of the Head of the institution and Committee of Management in relation to the institution.
- (4) Where more than one recognised institutions are maintained by a body or authority there shall be separate Committee of Management for each institution unless otherwise provided in the regulations for any class of institutions.
- (5) The Scheme of Administration of every institution shall be subject to the approval of the Director and no amendment to, or change in, the Scheme of Administration shall be made at any time without the prior approval of the Director:

Provided that where the Management of an institution is aggrieved by an order of the Director refusing to approve an amendment or change in the Scheme of Administration, the State Government, on the representation of the Management, may, if it is satisfied that the proposed amendment or change in the Scheme of Administration is in the interest of the institution, order the Director to approve the same, and thereupon the Director shall act accordingly.

- (6) Every recognised institution shall be managed in accordance with the Scheme of Administration framed under and in accordance with, sub-section (1) to sub-section (5).
- (7) Whenever there is a dispute with respect to the Management of an institution, persons found by the Regional Joint Director upon such enquiry as he deemes fit, to be in actual control of its affairs may, for the purposes of this Act be recognized to constitute the Committee of Management of such institution until a court of competent jurisdiction directs otherwise:

Provided that the Regional Joint Director shall before making an order under this sub-section, afford reasonable opportunity to the rival claimants to made representations in writing.

Explanation: In determining the question as to who is in actual control of the affairs of the institutions the Regional foint Director shall have regard to the control over the funds of the institution and over the

Publication and previous approval of regulations made by the Board

Scheme of Administration

administration, the receipt of income from its properties, the Scheme of Administration approved under sub-section (5) and other relevant circumstances.

Inspection of institutions and removal of defects

- 24. (1) Inspector, Sanskrit Pathshelayen, Uttar Predesh, Allahabad or Deputy inspector, Sanskrit Pathshalayen (Regional), shall be competent authority for the inspection of institutions within his jurisdiction.
- (2) The Director, Deputy Director, Sanckrit and Regional Joint Director or any officer authorized by him may also inspect an institution or cause the same to be inspected.
- (3) The Director may direct the Management of an institution to semove any defect or deficiency ferred on inspection or otherwise.
- (4) Where the Management fails to comply with any direction made under sub-section (2), the Director may, after considering the explanation or representation, if any, given by the Management.
  - (a) refer the case to the Board for withdrawal of recognition; or
  - (b) recommend to the State Government to proceed against the institution under sub-section (5).
- (5) If on receipt of a recomendation referred to in clause (b) of subsection (4) the State Government is satisfied that in the interest of the institution it is necessary that the Management of that institution be handed over to an Authorised Controller, the State Government may, by older, for such period as may be specified in the order, appoint an authorised Controller, and the Authorised Controller, may take over the Management of the institution including Management of the land, building, funds and other assets belonging to or vested in the institution to the exclusion of the Committee of Management or any other person, and whenever the Anthorised Controller so takes over the Management, he shall, subject only to such restrictions as the State Government may impose have, in relation to the Management of the institution, all such powers and authority as the Committee of Management would have if no order were made under this sub-section.
- (6) An order under sub-section (5) shall be operative for a period not exceeding one year in the first instance:

Provided that if the State Government is of opinion that is expedient so to do in order to continue to secure the proper management of the institution it may from time to time extende the operation of the order for such period, not exceeding one year at a time as it may specify, so however that the total period of operation of the order including the period specified in the initial order under sub-section (5) does not exceed five years:

Provided further that if at the expiration of the said period of five years, there is no lawfully constituted Committee of Management of the institution, the Authorised Controller shall continue to function as such until the State Government is satisfied that the Committee of Nanagement has been lawfully constituted:

Provided also that the State Government may at any time revoke an order made under sub-section (5) or under this sub-section.

- (7) No Authorised Controller shall be personally liable for acts done by him, in good faith, in performance of duties entrusted to him.
- (8) Any order made under sub-section (5) shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other enactment or instrument, relating to the Management and control of the institution, including any scheme of Administration, or relating to the property belonging to or vested in the institution.
- (9) No order made by the Board withdrawing recognition under clause (a) of sub-section (4) and no order made under sub-section (5) shall be called in question in any court.
- (10) The powers conferred by this section shell be in addition to and not in derogation of, any powers conferred on the State Government or the Authorised Controller under any other law for the time being in force.

220

25. Subject to the provisions of this Act, the Head of institution and teachers and other employees of an institution shall be appointed in accordance with the regulations.

procedure appointment of Head of institution, teachers and other employees

26. (1) Every person employed in an institution shall be governed by such conditions of service as may be prescribed by regulations and any agreement between the Management and such employees in so for as it is inconsistent with the provisions of this Act or with the regulations, shall be void.

Conditions of Service of Head institution, ∎nd teachers ! other employes

- (2) Without prejudice to the generality of the powers conferred by sub-section (1) the regulations may provide for,-
  - (a) the code of conduct, the period of probation, the conditions of confirmation and the procedure and conditions for promotion and punishment including suspension pending or in contemplation of inquiry or during the pendency of investigation, inquiry or trial in any criminal case for an offence involving moral turpitude and the emoluments for the period of suspension and termination of service with notice;
    - (b) the scales of pay and payment of salaries;
    - (c) transfer of service from one recognized institution to another;
    - (d) grant of leave and provident fund and other benefits; and
    - (e) maintenance of record of work and service.
- (3) (a) No Head of institution or teacher may be discharged or removed or dismissed from service or reduced in rank or subjected to any diminution in emoluments, or served with notice of termination of service except with the prior approval in writing of the Regional Joint
- (b) Regional Joint Director may approve or disapprove or reduce or Director. enhance the punishment or approve or disapprove of the notice for termination of service proposed by the Management:

Provided that in the cases of punishment, before passing order, the Regional Joint Director shall give, an opportunity to the Head of institution or the teacher to show cause within a fortnight of the receipt of the notice why the proposed punishment should not be inflicted.

- (c) Any party may prefer an appeal to the Director against an order of the Regional Joint Director under clause (b) within one month from the date of communication of the order to that party and the Director may, after such further enquiry as he considers necessary, confirm, set-aside or modify the order and the order passed by the Director shall be final.
- (4) No Head of institution or teacher shall be suspended by the Management, unless in the opinion of the Management, -
  - (a) the charges against him are serious enough to merit his dismissal, removal or reduction in rank; or
  - (b) his continuance in office is likely to hamper or prejudice the conduct of disciplinary proceedings against him; or
  - (c) any criminal case for an offence involving moral turpitude against him is under investigation, enquiry or trial.
- (5) Where any Head of institution or teacher is suspended by the Committee of Management it shall be reported to the Regional Joint Director within seven days from the date of order of suspension and the report shall contain such particulars as may be prescribed by regulations and accompanied by all relevant documents.
- (6) No such order of suspension shall, unless approved in writing by the Regional Joint Director, remain inforce for more than sixty days from the date of such order and the order of the Regional Joint Director shall be final and shall not be questioned in any court.

(7) If at any time the Regional Joint Director is satisfied that disciplinary proceedings against the Head of institution or teacher are being delayed for no fault of the Head of institution or the teacher, the Regional Joint Director may after affording opportunity to the Management to make representation, revoke an order of suspension passed under this section.

Casual Vecancies 27. All casual vacancies among the Members, other than ex-officio Members, of the Board or of a committee appointed by the Board, shall be filled, as soon as may be, by the person or body who elected or nominated the member whose place has become vacant and the person elected or nominated to a casual vacancy shall be a member of the Board or committee for the residue of the term for which the person whose place he fills would have been a member.

Power of the Board and Committee to make bye-laws

- 28. (1) The Board and its Committees may make bye-laws consistent with this Act the rules and the regulations,—
  - (a) laying down the procedure to be observed at their meetings and the number of members required to form a quorum;
  - (b) providing for all matters which are to be, or may be, provided for by bye-laws;
  - (c) providing for all matters solely concerning the Board and its Committees and not provided for by this Act the rules and the regulations.
- (2) The Board and its Committees shall make bye-laws providing for the giving of notice, to the members of the Board or Committee, of the dates of meeting of the Board or Committee, and of the business to be considered at meetings, and for the keeping of a record of the proceedings of meetings.
- (3) The Board may direct amendment or recession of any bye-law made by a Committee under this section and the Committee shall give effect to any such direction:

Protection for acts done ka good faith

29. No suit, prosection or other legal proceedings shall lie against the State Government, the Board or any of its Committees and subcommittees or any member of the Board or a Committee or subcommittee or any other person in respect of any thing, which is, in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act or any rule, regulation, bye-law, order or direction made thereunder.

Bar of Jurisdiction of courts 30. No order or decision made by the Board or any of its committees or sub-committees in exercise of the powers conferred by or under this Act shall be called in question in any court.

Fund of the Board

- 31. (1) The Board shall have its own fund, and all receipts of the Board shall be credited thereto and all payments for the Board shall be made therefrom.
- (2) Subject to any general or special order of the State Government, and subject to the provisions of this Act, the Board shall have the power to spend such sam as it may think fit on subjects or for purposes authorised by this Act.

Accounts and audit

- 32. (1) The Board shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare an annual statement of accounts in such form as the State Government may, by general or special order, specify.
- (2) The Board shall prepare an annual financial statement and submit it to the State Government for its approval.
- (3) The accounts of the Board shall be audited by such authority as the State Government may, by general or special order, specify.
- (4) The accounts of the Board as certified by the audit authority together with the audit report thereon shall be forwarded annually to the State Government.

(222)

33. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by a notified order, make such provisions, not inconsistent with the provisions of this Act as appears to it to be necessary or expedient, for removing the difficulty.

Power to remove difficulties

- (2) No order under sub-section (1) shall be made after the expiry of the period of two years from the commencement of this Act.
- (3) The provisions of sub-section (1) of section 23-A of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 shall apply to the order made under sub-section (1) as they apply in respect of rules made by the State Government under any Uttar Pradesh Act.
- 34. The State Government may by notification, make rules for carrying out the purposes of this Act.

Power to make

35. (1) The Uttar Pradesh Board of Secondary Sanskrit Education Ordinance, 2000 is hereby repealed.

Repeal and

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under this Act as if this Act were in force at all material times.

By order; Y. R. TRIFATHI, Pramukh Sachtr,

ordinance no. 15 of 2000